

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

TSP

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक-^{19/01/18}

विषय:-राजधानी राँची में राजभवन से हरमू तक फलाई ओवर के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण/क्रय के लिए तृतीय किस्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2017-18 में शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिग्रहण मद के TSP प्रक्षेत्र से राँची नगर निगम, राँची को कुल 30,00,00,000/- (तीस करोड़ रुपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-4007 दिनांक-22.07.2016 के द्वारा राजधानी राँची में राजभवन से हरमू तक फलाई-ओवर के निर्माण हेतु 16608.56 लाख रुपये की योजना एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु 16398.85 लाख रुपये की लागत पर भूमि अधिग्रहण अर्थात् कुल 33007.41 लाख रुपये की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस क्रम में उक्त योजना हेतु भूमि अधिग्रहण/क्रय के लिए दो किस्तों में कुल 39,75,85,000/- रुपये निम्नवत् विमुक्त किये जा चुके हैं :-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत्यादेश/दिनांक	आवंटित राशि
1	2016-17	224/19.12.2016	36,00,00,000/- रु०
2	2016-17	295/08.02.2017	3,75,85,000/- रु०

2. उक्त योजना हेतु भूमि अधिग्रहण/क्रय के लिए तृतीय किस्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2017-18 में शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिग्रहण मद के TSP प्रक्षेत्र से राँची नगर निगम, राँची को कुल 30,00,00,000/- (तीस करोड़ रुपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. फलाई-ओवर निर्माण के लिए चिन्हित भूमि की प्राप्ति के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में प्रथमतः नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा भूमि क्रय हेतु निर्गत संकल्प संख्या 3993 दिनांक 22.07.2016 के आलोक में की जाएगी। भू-स्वामी को भूमि क्रय के बदले यथा निर्धारित राशि के अतिरिक्त ली गई भू-पट्टी पर देय FAR (Floor Area Ratio) को TDR के रूप में अथवा प्रभावित भूखंड के शेष भाग पर FAR (Floor Area Ratio) के रूप में उपयोग की अनुमति प्रदान की जाएगी।

चिन्हित भूमि क्रय में किसी प्रकार की बाधा या जटिलता उत्पन्न होने की स्थिति में योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु "झारखण्ड उचित क्षतिपूर्ति एवं पारदर्शी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्बन्दोबस्ती अधिनियम, 2013" के अनुसार भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।

4. स्वीकृत राशि की निकासी मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोग-उपशीर्ष-56-शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिग्रहण के लिए सहाय्य अनुदान-विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान-79 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड-48S221780796560679 से वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकलनीय होगी।

5. स्वीकृत अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अपर नगर आयुक्त/उप नगर आयुक्त, राँची होंगे, जिनके द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी राँची कोषागार से वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से की जाएगी।

6. नगर आयुक्त, राँची नगर निगम निकासी की गयी राशि से उक्त योजना हेतु भूमि अधिग्रहण/क्रय के लिए अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, तदनुसार यथा आवश्यक भू-अर्जन हेतु राशि विमुक्त की जायेगी।
7. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष (2015-16) में उक्त योजना हेतु राँची नगर निगम को कोई भी राशि आवंटित नहीं की गयी है इसलिए उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति शून्य है।
8. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक-20.03.2015 की कंडिका-5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के अनुरूप कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।
9. संदर्भित भूमि का अर्जन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के दिशानिर्देश/नियमों से अच्छादित होगा।
10. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तको/पंजियों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
11. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं०-2561/दिनांक-17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 के बजट संबंधी धाराओं के अंतर्गत राशि सम्मिलित करने के उपरांत ही नियमानुसार स्वीकृत राशि का व्यय करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना अथवा राशि भुगतान का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो।
13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
14. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक-20.03.2015 (कंडिका-5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक-20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन


(अरुण कुमार सिंह) 18/11/18


सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-5/न०वि०/भू०अधि०(फलाई ओवर)-50/2016..... 241

राँची, दिनांक-19/11/18

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/योजना-सह-वित्त विभाग/राजस्व निबंधन, भूमि सुधार विभाग/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/आयुक्त, द० छोटानागपुर/उपायुक्त, राँची/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची/नगर आयुक्त, राँची नगर निगम/महापौर, राँची नगर निगम/कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार/महाप्रबंधक, जुडको लिमिटेड, राँची/परियोजना निदेशक (प्रशासन/तकनीकी) जुडको लिमिटेड, राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/नोडल पदाधिकारी, ई-प्रोक्तोमेन्ट, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री कुणाल विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री संदीप अग्रवाल, सहायक को ऑनलाईन आवंटन हेतु/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




सरकार के प्रधान सचिव। 18/11/18